पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 580/अका./का.प/2025 रायपुर, दिनांक 24/03/2025

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '96वाँ' बैठक सोमवार दिनांक 24.03.2025 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. एन. बोधनकर – सदस्य
2. डॉ. अशोक कुमार प्रधान – सदस्य
3. डॉ. कल्लोल कुमार घोष – सदस्य
4. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा, – सदस्य
5. डॉ. मेघेश तिवारी – सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) राधा पाण्डेय – सदस्य
7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (Online) – सदस्य
8. श्री कृष्णकान्त खरान्शु – सदस्य
9. श्री कमलेश ठोकने – सदस्य
10. प्रो. मधुश्री शेखर – सदस्य
11. श्री प्रकाश चंद्र चोपड़ा – सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

अनुपस्थित सदस्य– श्री पुरन्दर मिश्रा श्री मोतीलाल साहू, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री रोहित साहू, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, डॉ. गिरीश चंदेल, डॉ. विजयानंद सिंह, डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स,

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2025 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रस्तावित आय–व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः वित्तीय वर्ष 2023–24 वास्तविक आय–व्यय, वर्ष 2024–25 पुनरीक्षित आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित आय–व्यय का अनुमोदन किया गया।

3. छ.ग. राज्य के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 1 मार्च 2025 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के वित्त निर्देश 8/2025 पत्र क्रमांक 180/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 05.03.2025 के द्वारा छ.ग. राज्य के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 01.03.2025 से विश्वविद्यालय में कार्यरत् अधिकारी/शिक्षकों/कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता के स्थान पर 53% (मार्च 2025 को वेतन जो अप्रैल 2025 में देय होगा) को निम्नानुसार अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया। –

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 1 मार्च 2025	3%	53%

4. स्व. श्री सोविन्द उइके, चौकीदार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,37,460.00 (रुपए आठ लाख सैंतीस हजार चार सौ साठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक संधारण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार दो माह में निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति के साथ वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत मात्र दो माह हेतु विश्वविद्यालय की सफाई हेतु अनुबंधित फर्म न्यू भारत सेक्यूरिटी एण्ड डिटेक्टिव सर्विस से प्रति माह 45 श्रमिकों को प्राप्त करते हुए उद्यानों के रख–रखाव का कार्य करने हेतु रुपये 17,33,277/–(रु. सत्रह लाख, तैतीस हजार दो सौ सतहत्तर) की प्रशासकीय एवं वित्तिय स्वीकृति प्रदान की गई।**

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. कंसल्टेंसी रेगुलेशन 170 के अंतर्गत रूटीन टेस्टिंग (Chemical/Instrumental Sample Analysis) फीस एवं नियम व शर्तों की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार कंसल्टेंसी विनियम 170 के अंतर्गत रूटीन टेस्टिंग (Chemical/Instrumental Sample Analysis) फीस एवं नियम व शर्तों की स्वीकृति प्रदान की गई।**

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. PM USHA के तहत विभिन्न विभाग/अध्ययनशालाओं के लिए कम्प्यूटर, यू.पी.एस. एवं प्रिंटर क्रय हेतु रू. 46,00,000=00 (रुपए छियालीस लाख मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **PM USHA के तहत विभिन्न विभाग/अध्ययनशालाओं से प्राप्त प्रस्ताव के सापेक्ष कम्प्यूटर, यू.पी.एस. एवं प्रिंटर क्रय हेतु रू. 46,00,000=00 (रुपए छियालीस लाख मात्र) की निम्नानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई –**

क्र.	सामग्री का विवरण	संख्या	अनुमानित दर रुपये प्रति नग	राशि
01	Desktop PC i5	60	70,000.00	42,00,000.00
02	Offline UPS 1 KVA	60	5,000.00	3,00,000.00
03	Multifunction Printer	05	20000.00	1,00,000.00
			TOTAL	46,00,000.00

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 18.03.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **कार्यवृत्त के विषयसूची के अध्यक्ष के अनुमति से निर्णय क्र. 1 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी अभिमत पृथक से उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. श्री श्रवण सिंह ठाकुर, कनि. अधीक्षक (से.नि.) के अर्जित अवकाश नदीकरण रु. 6,62,400/– (रुपए छः लाख बासठ हजार चार सौ मात्र) भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. बंश गोपाल सिंह, सेवानिवृत्त, प्रोफेसर, मनोविज्ञान, अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. के अंतर की राशि रु. 8,97,372.00 (रुपए आठ लाख संत्यानबे हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. सम्बद्धता शुल्क में GST Payment हेतु जी.एस.टी. कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, रायपुर को राशि रु. 10,57,266.00 (रुपए दस लाख संतावन हजार दो सौ छैंसठ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. दिनांक 21.01.2025 को आयोजित MoU Evaluation Committee की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार Section 8 Company "PRSU Innovation Technology and Entrepreneurship Foundation (PITEF) एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य होने वाले MoU के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

7. विश्वविद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ (Social Audit Cell) हेतु निम्नलिखित गठित समिति की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना –

   1. डॉ. एल.एस. गजपाल, प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला – संयोजक/समन्वयक
   2. डॉ. सुनील कुमार कुमेटी, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला – सदस्य
   3. डॉ. टिके सिंह, सहायक प्राध्यापक, भूगोल, अध्ययनशाला – सदस्य
   4. डॉ. शैलेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान अध्ययनशाला – सदस्य

निर्णयः प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

8. सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा–राजिम को हिन्दी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

9. महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भखारा को हिन्दी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. विनियम क्रमांक 29(iii) के अनुक्रम में पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् से दो सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति में दो सदस्यों के मनोनयन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

11. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 20.03.2025 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

12. पुस्तक आपूर्ति हेतु फर्मों से किये गये अनुबंध में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णयः निविदा प्रपत्र में उल्लेखित पृष्ठ क्र. 3 भाग–2 के कंडिका क्र. 2.11 *"सत्र 2023–24 के उपरांत उपरोक्त निविदा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगामी दो वर्षों के लिए (एक–एक वर्ष करके) और निरन्तर की जा सकती है।"* के अनुसार अनुबंध अवधि में आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. बी.एड. भवन की आन्तरिक मरम्मत, पुट्टी, पेन्टींग कार्य की देयक भुगतान।

निर्णयः (1) निविदा राशि रु. 25,00,000/– में अनुशंषित न्यूनतम निविदा दर @25.50% (पच्चीस दशमलव पाँच शुन्य प्रतिशत) घटाने पर रु. 18,62,500/–(अठारह लाख बैसठ हजार पांच सौ) का कार्य अनुबंध/कार्यआदेश विश्वविद्यालय की स्वीकृत बजट मद B.Eng.unit/University Building distempering,putty में शेष रु. 98.00 लाख अन्तर्गत दिनांक 17.01.2025 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) अनुबंधित फर्म से बी.एड.भवन की आन्तरिक मरम्मत, पुट्टी, पेन्टींग का समग्र कार्य संपादित कराया गया है, जिसका मापांकन कर रु. 18,62,500/– (अठारह लाख, बैसठ हजार, पांच सौ) के कार्य अनुबंध की कार्योत्तर वित्तिय प्रशासकीय स्वीकृति के साथ रु. 11,32,630/–(ग्यारह लाख, बत्तीस हजार, छः सौ, तीस) अनुबंधित फर्म मेसर्स वेदरमेन रायपुर को नियमानुसार @2% आयकर रु. 22,660/–(बाईस हजार छः सौ साठ) कटौती करने उपरांत निम्नानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :–

(1)	द वेदरमेन, रायपुर –	रु. 11,09,770/–
(2)	आयकर जमा–	रु. 22,660/–
	कुल योग–	रु. 11,32,430/–

14. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 19.03.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

15. Skill Development Programme के अंतर्गत Tabletop CNC Lathe Machine एवं Tabletop CNC Milling Machine क्रय हेतु रू. 9,13,320=00 (रुपए नौ लाख तेरह हजार तीन सौ बीस मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

16. विश्वविद्यालय के विभाग/अध्ययनशालाओं में लगे 456 नग ए.सी. के वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु रू. 21,54,600=00 की स्वीकृति हेतु।

निर्णयः विश्वविद्यालय के विभाग/अध्ययनशालाओं में लगे 456 नग ए.सी. के वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु GEM Portal पर ऑनलाईन बीडिंग के पश्चात् फर्म COMMUNICATION SYSTEM का दर L1 न्यूनतम पाया गया। अतः प्रस्तावानुसार न्यूनतम दर के आधार पर उक्त फर्म से ए.सी. के वार्षिक रख–रखाव (AMC) कार्य कराये जाने हेतु रू. 21,54,600=00 (रुपये इक्कीस लाख चौव्वन हजार छः सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।

जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

17. जैविकी अध्ययनशाला के एम.एस–सी. चतुर्थ सेमेस्टर के बाह्य एवं आंतरिक विद्यार्थियों के लिए Project/Dissertation शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः जैविकी अध्ययनशाला के एम.एस–सी. चतुर्थ सेमेस्टर के बाह्य एवं आंतरिक विद्यार्थियों के लिए Project/Dissertation को शुल्क विनियम क्र. 170 Consultancy के अंतर्गत मान्य करते हुए निम्नानुसार शुल्क निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई –

External Students (Student other than SoS in Life Sciences)	Rs. 30,000.00
Internal Students (Student of SoS in Life Sciences)	Rs. 15,000.00

सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव :–

18. श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री को सेवानिवृत्ति उपरांत एकमुश्त मानदेय पर कार्य पर रखे जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री को आगामी NAAC Visit एवं PM-USHA के तहत विश्वविद्यालय को प्राप्त निर्माण संबंधी अनुदान के कार्यो की तकनीकी एवं विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावानुसार प्रथमतः एक वर्ष 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक निश्चित मानदेय राशि रू. 31200/– (इक्तीस हजार दो सौ रू. मात्र) प्रतिमाह में कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया तथा राज्य शासन को नई नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के संबंध में पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

19. श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री, यांत्रिकी विभाग के अर्जित अवकाश स्वीकृति विषयक।

निर्णयः श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री, यांत्रिकी विभाग के अस्वस्थता के कारण निम्नानुसार अर्जित अवकाश प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई –

1.	दिनांक 28.11.2023 से 08.12.2023 तक	=	11 दिन
2.	दिनांक 15.03.2024 से 28.03.2024 तक	=	14 दिन
3.	दिनांक 02.04.2024 से 12.04.2024 तक	=	11 दिन
4.	दिनांक 06.05.2024 से 24.05.2024 तक	=	19 दिन
5.	दिनांक 25.05.2024 से 07.06.2024 तक	=	14 दिन
6.	दिनांक 08.06.2024 से 21.06.2024 तक	=	14 दिन
7.	दिनांक 22.06.2024 से 28.06.2024 तक	=	07 दिन
8.	दिनांक 29.06.2024 से 12.07.2024 तक	=	14 दिन
9.	दिनांक 13.07.2024 से 19.07.2024 तक	=	07 दिन
10.	दिनांक 20.07.2024 से 02.08.2024 तक	=	14 दिन
	कुल	=	125 दिन

20. श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, वरिष्ठ अधीक्षक (निलंबित) के पेंशन प्रकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, वरिष्ठ अधीक्षक (निलंबित) के पेंशन प्रकरण के संबंध में विधिक अभिमत प्राप्त करते हुए आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में अभिमत के साथ प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

21. सीधी भर्ती हेतु चयन समिति की अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा खोले जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विषय के विज्ञापित पद के लिए किसी भी अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा योग्य न पाये जाने के कारण चयनित अभ्यर्थी निरंक है। अतः कार्यपरिषद् द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विषय को पुनर्विज्ञापित करने की अनुशंसा की गई।**

22. कार्यपरिषद् की 92वाँ बैठक दिनांक 23.10.2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 3 में लिए गये निर्णयानुसार डॉ. शिवेन्द्र सिंह देवहरे के जाति प्रमाण–पत्र/सत्यापन उपरांत प्रतिवेदन के आधार पर स्तरोन्नयन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) बालोद (छत्तीसगढ़) के ज्ञापन क्रमांक/1472/आ.जा. का./जा.प्र.प./2025 बालोद, दिनांक 11.03.2025 के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जाँच/सत्यापन उपरांत कार्यपरिषद् द्वारा Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत डॉ. शिवेन्द्र सिंह देवहरे सहायक प्राध्यापक के स्तरोन्नयन का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया –**

S. No.	Name of Candidate	Current Academic Level	Recommended Academic Level from the Committee	Date of Selection Committee/ Screening-Cum-Evaluation Committee Meeting	Date of Eligibility (w.e.f.) for promotion	SoS/ Department
1.	Dr. Shivendra Singh Dewhare	Asst. Professor AL-10	Asst. Professor AL-11	04.10.2024	01.06.2021	Life Science

संचालक शारीरिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्ताव :–

23. विश्वविद्यालयीन खिलाड़ियों, मैनेजरों एवं कोच के दैनिक भत्ता में बढ़ोत्तरी के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 24/आउ.शि/क्रीड़ा/2024 दिनांक 23.08.2024 के अनुक्रम में सेक्टर स्तर/अंतर महाविद्यालयीन/अंतर विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को, महंगाई को ध्यान में रखते हुए दैनिक भत्ता रु. 150/– से वृद्धि कर रु. 300/– एवं राज्य स्तरीय पर रु. 200/– से वृद्धि कर रु. 400/– प्रति दिवस एवं दल के साथ जाने वाले प्रबंधक या प्रशिक्षक (कोच, मैनेजर) एवं पर्यवेक्षक को दैनिक भत्ता रु. 300/– से वृद्धि कर रु. 500/– प्रति दिवस की दर से दिये की स्वीकृति प्रदान की गई।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2025 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 01 में विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के निर्णयानुसार ONE YEAR DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **ONE YEAR DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश क्रमांक 215 की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

02. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में "श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ" की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2.00 करोड़ रुपए राशि तथा विश्वविद्यालय में **Machine Intelligence Unit** प्रयोगशाला हेतु रु. 1.71 करोड़ की राशि प्रावधानित किये जाने के लिए कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। तद्क्रम में कार्यपरिषद् द्वारा "श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ" तथा विवेकानंद शोध पीठ के लिए अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत प्रोफेसर–इन–चार्ज नियुक्त किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

03. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा सी.एस.आर. मद के अंतर्गत भोजन अपशिष्ट तथा पत्तियों से आर्गेनिक खाद बनाने हेतु रु. 19.70 लाख की **Food Digester Machine** विश्वविद्यालय में स्थापित किये जाने के लिए कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यपरिषद् ने इस मशीन के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अभियांत्रिकी विभाग की निगरानी में यथोचित कार्ययोजना स्थापित किये जाने का निर्देश प्रदान किया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

(हस्ताक्षर) 24/3/25
कुलपति
अध्यक्ष

(हस्ताक्षर) 24/3/25
कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 581 /अका./का.प/2025 रायपुर, दिनांक 24/03/2025

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
उप–कुलसचिव (अका.)